संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन
भोपाल – 46200
☎ – (0755) 2551199, 255200
फैक्स – 0755–255138

क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/..1366 भोपाल, दिनांक 2 मई 2015

तत्काल/महत्वपूर्ण/समय–सीमा

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश
4. कलेक्टर (समस्त), मध्य प्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
6. आयुक्त (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक/संचालक, शासन के समस्त निगम/मण्डल/बोर्ड

विषयः– **प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत दिनांक 9 मई 2015 को प्रारम्भ की जाने वाली योजनाएं – अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रारम्भ करने हेतु तैयारी करने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय का ज्ञाप क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1358 दिनांक 2 मई 2015।

=0=

भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 मई 2015 को **अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारम्भ** किया जा रहा है। इन योजनाओं नियमावली इस संचालनालय की वेबसाईट www.dif.mp.gov.in तथा www.pmjdy.gov.in एवं slbcmadhyapradesh.com पर उपलब्ध है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा की पालिसी है जिसका वार्षिक प्रीमियम रू. 330/– है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा पालिसी है जिसका वार्षिक प्रीमियम रू. 12/– है।

राज्य शासन के समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही उपरोक्त दोनों बीमा योजनओं अंतर्गत विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित किया जाये कि यदि वे इन योजनाओं में नामांकन की पात्रता रखते हैं तो उनके द्वारा संधारित अपने बचत बैंक खाते वाली बैंक शाखा में अपना सहमति सह घोषणा फार्म (consentcum declaration form) जमा करें। बैंक द्वारा खाताधारक को पावती सह बीमा प्रमाण–पत्र (acknowledgement slip cum certificate of insurance) जारी किया जायेगा। बैंक द्वारा बीमा राशि का प्रीमियम खाताधारक के खाते से सीधे नामे किया जायेगा। एक वयक्ति को एक ही बचत बैंक खाते का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के खाताधारी सदस्यों का भी पात्रतानुसार बीमा हेतु सहमति सह घोषणा फार्म (consentcum declaration form) जमा कर सकते हैं।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें बीमा करवाने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ. क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1367 भोपाल, दिनांक 2 मई 2015

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

I.K. Gupta

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त